

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।


क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/07/ 3795-

दिनांक:- 06/03/07

:- कार्यालय-आदेश :-

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये शारदा नर्सिंग होम (SARDA NURSING HOME), डा. रामविलास शारदा मार्ग, 39 हास्पिटल रोड़, जयपुर को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।


सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचित एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव- अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/II राज0आ0मण्डल, जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/1 स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त राज0आ0मण्डल, जयपुर।
5. आवासीय अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी-अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. शारदा नर्सिंग होम, डा. रामविलास शारदा मार्ग, 39 हास्पिटल रोड़, जयपुर।
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0आ0मण्डल, जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड /रक्षित राजवली